पंचदश

बिहार विधान-सभा

षष्ठम् सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 15 श्रावण, 1934 (श०) / 06 अगस्त, 2012 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या—73

(1) गृह विभाग	..	..	41
(2) कारा विभाग	..	..	02
(3) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	..	03
(4) उद्योग विभाग	..	..	03
(5) वाणिज्य-कर विभाग	..	..	01
(6) सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	03
(7) गन्ना उद्योग विभाग	..	..	04
(8) निर्वाचन विभाग	..	..	01
(9) वाणिज्यिक वित्त विभाग	..	..	10
(10) सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	..	..	02
(11) सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग	..	..	02
(12) मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग		..	01
		कुल योग ..	73

तस्करी को रोकना

*133. श्री तारकिशोर प्रसाद--दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 29 जून, 2012 को प्रकाशित शीर्षक ''भारत का माल सोना उगा रहा नेपाल'' के आलोक में क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सीमांचल क्षेत्र पूर्णियां प्रमंडल में खाद की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि खाद के तस्करी के कारण, इस क्षेत्र के किसान, खाद महंगे दाम पर खरीद रहे हैं एवं पड़ोसी देश नेपाल के किसान लाभान्वित हो रहे हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खाद की तस्करी रोकने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना का दर्जा

*134. मो० आफाक आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत श्रीनगर प्रखंड के श्रीनगर में सहायक थाना 10 वर्षों से चल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सहायक थाना को पूर्ण थाना का दर्जा नहीं रहने के कारण विधि व्यवस्था को नियंत्रण करने में कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सहायक थाना को थाना का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवास का निर्माण

*135. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी अनुमंडल का निर्माण 1983 में हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि शेरघाटी में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों का आवास नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य कर्मचारियों के आवास का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शुरू करना

*136. श्री विनोद नारायण झा--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कुल 178 इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है, जिसमें 832.85 करोड़ निवेश के प्रस्ताव में, परन्तु अभी तक उक्त इकाइयों में से एक भी इकाई को शुरू नहीं किया जा सका है, यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

स्थापित करना

*137. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत गदाई दियारा थाना से दूर, नदी के पार जहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता है, यदि हां, तो सरकार गदाई दियारा में पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना खोलना

*138. श्रीमती लेशी सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिला के मरंगा ओ०पी० क्षेत्र के अधीन के० नगर प्रखंड के आठ पंचायत को शामिल किया गया है जबकि मरंगा पूर्णियां पूर्व प्रखंड में अवस्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि मरंगा (ओ०पी०) पूर्णियां पूर्व प्रखंड में अवस्थित होने के कारण के० नगर प्रखंड के आठ पंचायत में कानून व्यवस्था बहाल रखने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार के० नगर प्रखंड के मजरा में ओ०पी० थाना खोलने का विचार रखती है ?

बैंक खोलना

*139. श्री अरूण शंकर प्रसाद--क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी एवं खजौली प्रखंड मुख्यालय में मात्र एक-एक व्यावसायिक बैंक के रूप में एस०बी०आई० की शाखा है, तबकि उपभोक्ताओं की संख्या 10 हजार से भी अधिक है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त बासोपट्टी एवं खजौली के बैंकों में भारी भीड़ के कारण ग्राहकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बासोपट्टी एवं खजौली में अतिरिक्त व्यावसायिक बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*140. श्री केदार नाथ सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत मशरक थाना में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण थाना में कार्यरत कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त थाना में चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल में रखना

*141. श्री रामधनी सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के कोचस प्रखंड में गारा, कुछिला, नरवर, नौवा, चितांव तथा कंजर पंचायत आता है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित पंचायतों का अनुमंडल सासाराम, जिला रोहतास है;

(3) क्या यह बात सही है कि गारा तथा कुछिला पंचायत का पुलिस अनुमंडल मोहनियां, जिला कैमूर तथा नौवा, नरवर चितांव, कंजर पंचायत का पुलिस अनुमंडल विक्रमगंज रोहतास है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर वर्णित पंचायतों का पुलिस अनुमंडल सासाराम में करने का विचार रखती है, हां, तो कबतक ?

सम्मिलित करना

*142. श्रीमती पूनम देवी यादव - क्या मंत्री, निर्वाचन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के मुफस्सिल अंचल का तौफीर और टीकारामपुर पंचायत वर्ष 1995 में गंगा कटाव के कारण खगड़िया जिला के मानसी के ठाठा, खुटिया, खगड़िया अंचल के एकनिया-रहीमपुर, मौजा में वंशराज, भीम, पांडव, मंडल, कुर्मी, रूदल राय टोला विस्थापित होकर 6013 वयस्क मतदाता बस गए हैं, जिनका नाम अभीतक मुंगेर जिला के मतदाता सूची में दर्ज है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त गाँवों को खगड़िया जिला के मतदाता सूची में सम्मिलित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना भवन का निर्माण

*143. श्री संतोष कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिला के डगरूवा थाना का अपना भवन नहीं है जिसके चलते थाना के संचालन में काफी कठिनाई होती है , यदि हां, तो क्या सरकार उक्त थाना का अपना भवन निर्माण कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक खोलना

*144. श्री हरिनारायण सिंह--क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत नगरनौसा प्रखंड के पंचायत कैला के ग्राम महमदपुर के 4 किलोमीटर की परिधि में कोई बैंक नहीं है, जिससे महमदपुर एवं इसके आस-पास के लोगों को काफी कठिनाई होती है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में एक बैंक खोलने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*145. श्री अनन्त कुमार सत्यार्थी - क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत बरियापुर थाना अति संवेदनशील है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना भवन का दैनिक कार्य पी0डब्लू0डी0 जमीन पर करकट से निर्मित भवन में चलाये जा रहे हैं । जिससे थाना में हमेशा अस्त्र-शस्त्र तथा कर्मी अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या आम जनता के हित में उक्त थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*146. श्री अजीत कुमार --क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत करजा थाना विगत बीस वर्षों से किराये के मकान में चल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि भवन जर्जर होने के कारण पुलिस बल को प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना का भवन बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्यालय खोलना

*147. श्री विनय कुमार सिंह--क्या मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत सोनपुर अनुमंडल मुख्यालय की दूरी छपरा जिला हेडक्वार्टर से 52 किलोमीटर है;

(2) क्या यह बात सही है कि सोनपुर अनुमंडलान्तर्गत सोनपुर, दिघवारा, हरियापुर एवं परसा बाजार तो तीन शहरी क्षेत्र (अधिसूचित क्षेत्र) का बाजार है, जहां के व्यापारियों को टैक्स जमा करने हेतु 52 किलोमीटर छपरा जाना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सोनपुर अनुमंडल में वाणिज्य-कर विभाग का कार्यालय खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना का निर्माण

*148. श्रीमती गुड्डी देवी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी के रुन्नीसैयद प्रखंड एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रुन्नीसैयद प्रखंड के महिन्दवरा ओ0पी0 को नक्सलवादी द्वारा पांच वर्ष पूर्व उड़ा दिया गया है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन को नक्सलवादी गतिविधियों पर रोक लगाने पर कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार महिन्दवरा में आधुनिक हथियार से लैस स्थायी थाना का निर्माण कराने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक स्थापित करना

*149. श्री संजय सिंह (टाइगर)--क्या मंत्री, संस्थिक (वित्त) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2010, जून में यह निर्णय किया था कि पांच हजार से अधिक आबादी वाले गांव में बैंक की शाखा खोली जाएगी;

(2) क्या यह बात सही है कि उदवन्तनगर प्रखण्ड (भोजपुर) के मसाढ़ गांव की आबादी साढ़े आठ हजार से अधिक होने के बावजूद अबतक वहां बैंक का शाखा नहीं खुल सका है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त मसाढ़ गांव में बैंक स्थापित करने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*150. श्री विक्रम कुंवर--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि श्री काशीनाथ ठाकुर, ग्राम+पो0 निखतीकला, थाना रघुनाथपुर, जिला सीवान के घर से दिनांक 11 अप्रील, 2012 को गाय चोरी हो गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 11 अप्रील, 2012 को पकड़े गये चोर मो0 राजा, वल्द स्व0 सरवर मियां को उक्त ग्रामीणों ने पकड़कर थाना के हवाले कर दिया जिसका कांड संख्या 43/12 है;

(3) क्या यह बात सही है कि थाना प्रभारी रघुनाथपुर द्वारा उक्त चोर मो0 राजा, वल्द स्व0 सरवर मियां, थाना रघुनाथपुर के हिरासत में पीट-पीट कर दिनांक 12 अप्रील, 2012 को मार डाला गया, जिसे स्थानीय चिकित्सा पदाधिकारी, रघुनाथपुर ने अपने जाँच प्रतिवेदन में दिया है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर थाना प्रभारी रघुनाथपुर के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*151. श्री नौशाद आलम---क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड के हजारी, डांगीगच्छ, ननकार (छैतल) धुलाबाड़ी, धुमनीहाट, मलानी (जीरनगच्छ पं0) घस्सीकुरहा, खानका, सरायकुड़ह, तोताभीरा, बेलगच्छी, बरचोंदी एवं दिघलबैंक प्रखंड के डेरामारी, टंगटगी, बालुबाड़ी, सुरीभीरा,मालटोला, तालाबाड़ी, कड़वामुनी आदि कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार करना

*152. श्री रामलषण राम रमण---क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे की क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य चीनी निगम के अधीन 15 चीनी मिलों के जीर्णोद्धार की योजना मे वित्तीय वर्ष 2012–13 में कितनी राशि की स्वीकृति की गयी है, हाँ, तो कबतक इसका जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—राज्य सरकार का अपने स्तर से बिहार राज्य चीनी निगम की 15 बंद इकाइयों को पुनर्जीवित/जीर्णोद्धार करने की कोई योजना नहीं है।

अतः इन बंद मिलों के जीर्णोद्धार के मद में वित्तीय वर्ष 2012–13 में राजकोष से कोई राशि का व्यय नही किया गया है।

भवन का निर्माण

*153. डॉ0 इजहार अहमद---क्या मंत्री, गृह(आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत पुराना जमालपुर थाना विगत 15 वर्षों से कार्यरत है परन्तु थाना भवन नहीं है तथा थाना का कार्य कोसी तटबंध पर झोपड़ी में चल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है और नही, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*154. श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार--- क्या मंत्री, गृह(विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत परबत्ता प्रखंड के ग्राम उदयपुर, बलहा, नया गाँव, परबत्ता, मड़ैया आदि ग्रामों में कब्रिस्तानों की घेराबंदी अभीतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*155. श्री पवन कुमार जायसवाल---क्या मंत्री, गृह(विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपराण जिला के ढाका प्रखंड के चन्दनबाड़ा दक्षिणी टोला, हरूहानी, गम्हरिया, भवानीपुर तथा घोड़ासहन प्रखंड के बहादुरपुर, लौखान, विजयी, घोड़ासहन ग्रामों के कब्रिस्तान की चहारदीवारी निर्माण नहीं हुआ है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उपर्युक्त कब्रिस्तानो की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

केन्द्र खोलना

*156. डॉ0 इजहार अहमद—क्या मंत्री, गृह(विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के किरतपुर एवं गौड़ाबौराम प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंडों में अगलगी की घटना घटित होने से अग्निशामक यंत्र को दरभंगा से बिरौल, किरतपुर एवं गौड़ाबौराम प्रखंड आने में अधिक समय लगता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त प्रखंडों में अग्निशामक केन्द्र बनाने का विचार रखता है, यदि हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

मिल की स्थापना

*157. श्री गोपालजी ठाकुर—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बेनीपुर अनुमंडल तथा बिरौल अनुमंडल में चीनी मिल नहीं रहने के कारण गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को काफी क्षति होती है;

(2) क्या यह बात सही है कि बेनीपुर तथा बिरौल अनुमंडल के बीच चीनी मिल हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किसानों को सुविधा हेतु बेनीपुर तथा बिरौल अनुमंडल के बीच चीनी मिल स्थापित करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। चीनी मिल के अभाव में बेनीपुर अनुमंडल तथा बिरौल अनुमंडल के गन्ना कृषक मुख्य रूप से गुड़ निर्माण हेतु गन्ने की खेती करते हैं।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है। बेनीपुर तथा बिरौल अनुमंडल के बीच विभाग/बिहार राज्य चीनी निगम का कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।

(3) सरकार अपने स्तर से चीनी मिल स्थापित करने की नीति नहीं है। सरकार द्वारा राज्य के किसानों के हित मे राज्य में गन्ना आधारित्त उद्योगों को निजी/सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से स्थापना को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है एवं इस हेतु प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है। उपरोक्त आलोक में बेनीपुर/बिरौल में चीनी मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त होगी तो सरकार के स्तर से वैधिक प्रावधानों के अंतर्गत निवेशक को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*158. श्री छेदी पासवान—क्या मंत्री, गृह(विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे की—

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियाँ प्रखंड के ग्राम मोहनियाँ, बरेज, जितापुर, पतेलवा, बरहुली, पुसौली, करिगावां, कठेज, मझाड़ी, दादर, बधिनी, पानापुर, भरखर, अमरपुरा तथा कुदरा प्रखंड के ग्राम जहानाबाद, नटेयाँ, बहुआरा, घरी, सरियावं, तुर्की, फूली, सिसवार, कानडिहरा, ससना,पचरा, बुडहर, गुंगवलिया, भुडवा, घटेयाँ, शाही सराय,फकराबाद, घटावं स्थित कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं की गई है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में स्थित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

* 159. श्री संजय सरावगी—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं0 23 के बाजितपुर में कब्रिस्तान है, परन्तु अभीतक उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य ने भी दो वर्ष पूर्व जिलाधिकारी दरभंगा को उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए अनुशंसा की थी ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक खोलना

* 160. श्रीमती रंजुगीता—क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बोखड़ा प्रखंड के बनौल पंचायत के बनौल सिंगाचौड़ी में राष्ट्रीय व्यावसायिक बैंक बनौल में मात्र पंजाब नेशनल बैंक है, जिसमें इन क्षेत्रों में काफी अत्यधिक परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार बनौल या सिंगाचौड़ी में एक और राष्ट्रीयकृत बैंक खोलने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आवास का निर्माण

* 161. श्री (मो0) आफाक आलम—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत श्रीनगर प्रखंड के सहायक थाना 10 वर्षों से कार्यरत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना के कर्मचारियों, आरक्षियों के रहने हेतु आवासीय भवन नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना के कर्मचारियों के रहने हेतु आवास का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक खोलना

* 162. श्री ज्ञानचन्द मांझी—क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत गड़खा प्रखंड के ग्राम साधपुर की आबादी दस हजार है, लेकिन वहाँ पाँच कि0मी0 कि परिधि में कोई बैंक नहीं है, जिससे आम जनता को कठिनाई होती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में बैंक की शाखा स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

* 163. श्री मदन सहनी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सैन्य पुलिस 13 दरभंगा वाहिनी परिसर के बैरक नं0 2 से बैरक नं0 4 तक की सड़क अत्यन्त जर्जर है, जिसके कारण उक्त वाहिनी के कर्मचारियों, उनके परिजनो के साथ–साथ विधि व्यवस्था के ड्यूटी में लगे पदाधिकारियों को आवागमन में काफी कठिनाइयाँ हो रही हैं ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिहार सैन्य पुलिस 13 दरभंगा वाहिनी परिसर के बैरक नं0 2 से बैरक नं0 4 तक की सड़क निर्माण करने की विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वसुधा केन्द्र खोलना

* 164. श्री अरूण शंकर प्रसाद—क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के सभी पंचायतों में सरकार ने वसुधा केन्द्र खोलने का निर्णय वर्ष 2005 में लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के वासोपट्टी एवं जयनगर प्रखंडों के 20 पंचायतों में वसुधा केन्द्र नहीं खुलने से लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक वासोपट्टी एवं जयनगर प्रखंड के रिक्त पंचायतों में वसुधा केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक शाखा खोलना

* 165. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, सांख्यिक (वित्त) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत दिल्ली दिवानगंज में बैंक की कोई शाखा नही रहने से जनता को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वहाँ ग्रामीण बैंक की एक शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

* 166. श्रीमती पुनम देवी यादव—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी खगड़िया ने अपने पत्रांक 1842, दिनांक 27 सितम्बर, 2011 द्वारा तत्कालीन प्रखंड नाजिर राजीव कुमार को प्रखंड विकास पदाधिकारी खगड़िया द्वारा प्रपत्र "क" में गठित आरोप का जाँच करने का आदेश कोषागार पदाधिकारी खगड़िया एवं सहायक आयुक्त वाणिज्य–कर खगड़िया को दिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिलाधिकारी खगड़िया अपने पत्रांक 2267 गो0, दिनांक 26 जनवरी, 2011 द्वारा उक्त नाजिर के द्वारा की गयी अनियमितता एवं गबन करने की पुष्टि की है, इसके बावजूद भी गबन से संबंधित मामला दर्ज नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो गबन करने वाले तत्कालीन नाजिर श्री राजीव कुमार के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

* 167. श्रीमती गुड्डी देवी—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत नानपुर प्रखंड के पंडौल ग्राम का कब्रिस्तान का घेराबन्दी वर्ष 2009 में शुरू किया गया था, लेकिन अभीतक कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गई है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*168. श्री अरूण कुमार सिन्हा––क्या मंत्री, गृह (कारा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मंडल कारा, सासाराम, फुलवारी कैंप कारा, औरंगाबाद, नवादा, छपरा, गोपालगंज, आरा, भभुआ, दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मुंगेर, जमुई, लखीसराय एवं बांका कारा में अधीक्षक के पद पिछले एक साल से रिक्त हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पद पर अधीक्षक की नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक खोलना

*169. श्री विनोद प्रसाद यादव––क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के ग्राम कचौड़ी की आबादी लगभग चार हजार है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कचौड़ी पंचायत की आबादी लगभग पन्द्रह हजार है तथा ग्राम पंचायत का मुख्यालय भी है ;

(3) क्या यह बात सही है कि ग्राम कचौड़ी एवं आस–पास के ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा के लिए पन्द्रह कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी असुविधा होती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम कचौड़ी में बैंक खोलने का विचार रखती हैं, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग स्थापित करना

*170. श्री दाऊद अली––क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत नावानगर प्रखंड में बिहटा चीनी मिल का 400 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जो खाली भूमि के रूप में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त खाली पड़े भूमि पर सीमेन्ट उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*171. श्री राजकुमार राय––क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर विधान–सभा क्षेत्र मक्का पैदा करने वाला क्षेत्र है जहां प्रतिवर्ष लाखों टन मक्का की पैदाइश होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में मक्का पर आधारित उद्योग नहीं है जिससे किसानों को उनके फसल का समुचित मूल्य नहीं मिल पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त जिला में मक्का आधारित उद्योग लगाने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*172. श्री अवनीश कुमार सिंह—क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2010–11 तक कुल 60 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा निर्गत किये गये थे, जिनमें से मात्र 10 लाख का वर्ष 2011–12 में नवीनीकरण किया गया और शेष 50 लाख किसान क्रेडिट कार्डधारियों के कार्ड का नवीनीकरण नहीं किया गया, यदि हाँ, तो सरकार क्रेडिट कार्ड को नवीनीकरण करने हेतु कौन–सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

बैंक खोलना

*173. श्री जनक सिंह—क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत पानापुर प्रखंड के ग्राम रसौली एवं इसुआपुर प्रखण्ड के ग्राम केरवा में राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं रहने के कारण इस क्षेत्र के व्यावसायियों एवं किसानों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों के गाँव में राष्ट्रीयकृत बैंक खोलवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी.

*174. श्री अनन्त कुमार सत्यार्थी—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला स्थित वार्ड नं० 41 में करबला टोला में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है ;

(2) यदि हाँ, तो सरकार कब्रिस्तान की सुरक्षा हेतु घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*175. श्री प्रदीप कुमार—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत पकरीवरावां प्रखण्ड के ग्राम पड़रिया, धमौल, दतरौल तथा काशीचक प्रखंड के उपरावाँ तथा बौरी के कब्रिस्तानों की घेराबन्दी नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना का दर्जा

*176. श्रीमती नीता चौधरी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के टेटिया बम्बर प्रखंड के अन्तर्गत टेटिया बम्बर एक सहायक थाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि टेटिया बम्बर एक प्रखंड है, जबकि थाना को अभीतक पूर्णरूपेण थाना का दर्जा अभीतक नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार टेटिया बम्बर सहायक थाना को पूर्णरूपेण थाना का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*177. श्री संतोष कुमार—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के वायसी थाना का भवन जर्जर है तथा चहारदीवारी नहीं है जिसके चलते अस्त्र–शस्त्र की सुरक्षा करने में काफी कठिनाई हो जाती है, यदि हाँ, तो उक्त थाना की मरम्मती के साथ चहारदीवारी बनाने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*178. श्री जितेन्द्र कुमार—क्या मंत्री, गृह(आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला अन्तर्गत कतरीसराय थाना भवन का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्रारंभ किया गया है, जिसे प्राक्कलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2008 में पूरा किया जाना था, जो आजतक थाना भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण है जिससे संप्रति थाना का कार्य एक किराये के मकान में चलाये जा रहे हैं, यदि हाँ, तो थाना भवन के निर्माण कार्य में विलंब करने वाले संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए सरकार कबतक थाना भवन के निर्माण कार्य को पूरा कराने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

थाना का निर्माण

*179. श्री अवनीश कुमार सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा नक्सल क्षेत्रों में 85 मॉडल थाने बनाने का निर्णय दिनांक 24 जनवरी, 2012 को लिया गया था, परन्तु आजतक एक भी मॉडल थाना का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मॉडल थाने का निर्माण कराने का विचार रखती है ?

भवन का निर्माण

*180. श्री आनन्दी प्रसाद यादव—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के कुसोकांटा प्रखंड अंतर्गत कुवाड़ी थाना नेपाल राष्ट्र सीमा से सटे स्थापित है;

(2) क्या यह बात सही है कि कुवाड़ी थाना का भवन काफी पुराना होने के कारण काफी जर्जर है जिससे आरक्षी कर्मियों को कार्य करने में कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*181. श्री राम नरेश प्रसाद यादव—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अन्तर्गत ग्राम परवाहा,महादेवपट्टी एवं सोनवरसा प्रखंड के इन्दरवा, मुशहरनियाँ (पुरन्दाहा रजवाड़ा, पंबी पंचायत) में कब्रिस्तान अवस्थित है जिसकी चहारदीवारी अभीतक नही हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त सभी कब्रिस्तान का चहारदीवारी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

फाड़ी बनाना

*182. श्री दुर्गा प्रसाद सिंह—क्या मंत्री गृह(आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड के महिमारी (बाबू पोखर) चौक पुलिस फाड़ी नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि महिसारी (बाबू पोखर) चौक से थाना की दूरी आठ कि0मी0 रहने के कारण अपराध नियंत्रण में कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार महिसारी(बाबू पोखर) चौक पर पुलिस फाड़ी बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विराम भत्ता देना

* 183. श्री जवाहर प्रसाद—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला आरक्षियों को 5–6 वर्षों से यात्रा भत्ता एवं विराम भत्ता नहीं दिया जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार रोहतास जिला के आरक्षी को यात्रा भत्ता एवं विराम भत्ता देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक खोलना

*184. श्री वीरेन्द्र सिंह—क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010–11 में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक 5 हजार की आबादी वाली गाँव में एक बैंक की स्थापना की जायेगी;

(2) क्या यह बात सही है कि गया जिला के वजीरगंज प्रखंड के सकरदास नवादा गाँव की आबादी 8 हजार है, जहाँ कोई बैंक नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (दो) में वर्णित स्थान पर बैंक खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*185. श्री अजीत कुमार—दिनांक 29 जून, 2012 को प्रकाशित समाचार शीर्षक ''मोतीपुर चीनी मिल को चालू होने पर ग्रहण'' के आलोक में क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मोतीपुर चीनी मिल का इंडियन पोटाश लिमिटेड एवं बिहार स्टेट सुगर कॉरपोरेशन के बीच चालू करने हेतु हुए समझौता रद्द हो गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त चीनी मिल को चालू करने एवं कर्मचारियों के लंबित भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

(क) वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No's.-427/2008/8840/2006 एवं 710/2011 में दिनांक 25 जून, 2012 को समवेत रूप से आदेश पारित करते हुए बिहार सरकार/बिहार राज्य चीनी निगम को मोतीपुर चीनी मिल को पुराने मालिक के पक्ष में दो माह के भीतर Divest करने का आदेश दिया गया है तथा IPL के साथ हुए Lease करार को रद्द कर दिया गया है।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार एवं बिहार राज्य चीनी निगम द्वारा LPA दायर किया गया है। फलतः चीनी मिल की स्थिति यथावत है।

(ग) चीनी मिल का परिचालन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सरकार/निगम की ओर से दायर अपील याचिका पर दिये जाने वाले न्याय निर्णय पर निर्भर होगा।

(घ) चीनी मिल कर्मियों के लंबित बकायों का भुगतान अभी चल रहा है।

कार्रवाई करना

*186. श्री उमाकान्त यादव--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही प्रखंड स्थित बड़हारा बाजार भारत-नेपाल सीमा के समीप अवस्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित बाजार भारत-नेपाल सीमा के समीप अवस्थित रहने से बाबूबरही थाना से विधि-व्यवस्था के साथ ही अपराधियों पर नियंत्रण रखने में प्रशासन को कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विधि-व्यवस्था के नियंत्रण के हित में उक्त वर्णित बाजार पर थाना स्थापित करने हेतु कौन-सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

क्रय करना

*187. श्री अरूण कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के पास उपलब्ध मात्र एक हेलिकॉप्टर है जो 25 वर्ष पुराना है;

(2) क्या यह बात सही है कि एक अतिरिक्त हेलिकॉप्टर क्रय करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास पिछले पाँच वर्षों से लंबित है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एक अतिरिक्त हेलिकॉप्टर क्रय कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

''क''-*188. डॉ० दाऊद अली--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लाल बाबू पासवान बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि०, इंदिरा भवन, पटना में आदेशपाल के स्थायी पद पर कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु सेवाकाल में ही दिनांक 31 अक्टूबर, 2003 को हो गयी;

(2) क्या यह बात सही है कि स्व० पासवान की आश्रित विधवा पत्नी अपने पुत्र को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु सभी औपचारिकता पूर्ण कर दिनांक 22 जनवरी, 2004 को कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर चुकी है, परन्तु आजतक नियुक्ति नहीं हो सकी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्व० पासवान के आश्रित पुत्र को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्थानान्तरित करना

*189. श्री दिनेश कुमार सिंह--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर अनुमंडल का नया कार्यालय भवन दो वर्षों से बनकर तैयार है, लेकिन अभी भी अनुमंडल कार्यालय, जगदीशपुर प्रखंड परिसर में चल रहा है, यदि हां, तो क्या सरकार अनुमंडल कार्यालय को नये भवन में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पूर्ण करना

*190. श्री रामदेव महतो--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत सकड़ी थाना का मॉडल थाना भवन छत ढालने के बाद 2 वर्षों से अधूरा पड़ा है, यदि हां, तो सरकार उक्त थाना का छत पूर्ण कराने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट--''क'' उद्योग विभाग को स्थानान्तरित ।

जल-जमाव से मुक्ति

*191. श्रीमती आशा देवी--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दानापुर प्रखंड के सगुना कब्रिस्तान एवं नासरीगंज कब्रिस्तान में जल-जमाव की समस्या के कारण शवों को दफन करने में काफी कठिनाई होती है, यदि हां, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान को जल-जमाव से मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना का निर्माण

*192. श्री रामनरेश प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला की आबादी 34,00,000 (चौतीस लाख) है, जिला के कुल आबादी के विरुद्ध मात्र 18 (अठारह) सृजित थाना है;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिले में नक्सली गतिविधि तेज हो गयी है और उनके द्वारा कई घटना को अंजाम दिया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011 में सीतामढ़ी जिला प्रशासन की ओर से सरकार पुनौरा,सुप्पी, चौरौत में थाना एवं भुतही में ओ०पी० निर्माण की स्वीकृति प्रस्ताव भेजा गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्थान पर विधि-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नया थाना एवं ओ०पी० निर्माण की स्वीकृति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई

*193. श्री जाकिर खां--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार प्रायोजित एम०एस०डी०पी० (मल्टी सेक्ट्रल डेवेलपमेंट प्रोग्राम) के तहत बिहार के सात (07) जिलों का चयन की गयी है, जिसमें अररिया जिला शामिल है,. को अल्पसंख्यकों के विकास हेतु 81 करोड़ (एक्कासी) रुपये राशि का आवंटन वर्ष 2009-10 में की गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि एम०एस०डी०पी० के तहत आवंटित राशि को दूसरे जगहों पर खर्च कर दिया गया है, जिससे अल्पसंख्यकों में काफी रोष है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन की मरम्मती

*194. श्रीमती लेशी सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिला के पुलिस लाईन का भवन जर्जर है तथा शौचालय व स्नानागार का अभाव है;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिला में आरक्षियों के लिए आवंटित भवन जीर्ण-शीर्ण की आवस्था में रहने के कारण आरक्षियों को कठिनाइयाँ होती है;

(3) अगर उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जर्जर भवनों की मरम्मती तथा शौचालयों एवं स्नानागार निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उप-कारागार का निर्माण

*195. श्री ललन कुमार क्या मंत्री, गृह (कारा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के अन्तर्गत तेघड़ा अनुमण्डल विगत 20 वर्षों से कार्यरत है;

(2) क्या यह बात सही है कि तेघड़ा अनुमण्डल में उप-कारागार का निर्माण अभीतक नहीं हुआ है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अनुमण्डल में उप-कारागार निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना बनाना

*196. श्री कृष्णनन्दन यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के अतरी थाना, अतरी प्रखण्ड एवं मोहदा प्रखण्ड दोनों का एक ही थाना है, मोहदा प्रखण्ड के आम जनता को अतरी थाना की दूरी अधिक होने से आने-जाने में काफी कठिनाई होती है तथा विधि-व्यवस्था में भी असुविधा होती है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मोहदा प्रखण्ड में थाना बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*197. श्री राजेश्वर राज--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के काराकाट प्रखंडान्तर्गत बाराडीह पंचायत के कास्थ्य, बहुआरा, बलगांव स्थित कब्रिस्तान एवं विक्रमगंज प्रखंडान्तर्गत गुलजारबाग नगर पंचायत, विक्रमगंज में स्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी वर्ष 2006 में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा मार्च, 2011 में संबंधित पदा0 से लिखित अनुरोध किये जाने के बावजूद भी आजतक घेराबन्दी की कार्रवाई नहीं की जा सकी है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि की वसूली

*198. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह--दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 16 अप्रैल, 2012 को प्रकाशित ''अर्थ दंड की राशि आठ लाख वसूली 32 हजार'' शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सूचना आयोग ने वर्ष 2010-11 में 86 मामलों में विभिन्न 14 जिलों में पदस्थापित लोक सूचना पदाधिकारियों पर आठ लाख 31 हजार 500 रुपये का अर्थ दंड लगाया जबकि वसूली मात्र 32 हजार रुपये ही हो पायी है;

(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लक्ष्य के अनुपात में इतनी कम राशि वसूली का क्या औचित्य है ?

भवन का निर्माण

*199. श्रीमती उषा सिन्हा--क्या मंत्री, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिले में थरथरी, परवलपुर एवं कराय परशुराय प्रखण्डों में सूचना भवन नहीं है;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्डों में सूचना भवन का निर्माण कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) प्रश्न के खण्ड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) प्रश्न के खण्ड (2) के संबंध में सूचित करना है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार सभी जिला मुख्यालय में जिला सूचना भवन का निर्माण कराया गया है । वर्तमान में सरकार के समक्ष प्रखण्ड स्तर पर सूचना भवन के निर्माण का निर्णय विचाराधीन नहीं है ।

चौकी स्थापित करना

*200. डॉ0 अच्युतानन्द-- क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के जन्दाहा प्रखण्ड का महिसौर, हरप्रसाद, डीह बचौली, चांद सराय, महिपुरा, सोहथी सहित 10 पंचायत अतिसंवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पंचायतों की विधि-व्यवस्था जन्दाहा थाने से नियंत्रित होती है, जिसकी दूरी ज्यादा होने से समय पर सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नक्सल प्रभावित महिसौर, हरप्रसाद, बुचौली, चांद सराय के किसी स्थान पर अतिरिक्त पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रगाह की घेराबन्दी

*201. श्री श्याम बिहारी प्रसाद--क्या मंत्री, गृह-(विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पू0 चम्पारण जिला अन्तर्गत बनकठवा प्रखण्ड में अठमहान एवं ग्राम बगहा में कब्रगाह का जमीन है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रगाह का जमीन का घेराबंदी नहीं रहने के कारण कब्रिस्तान का अतिक्रमण किया जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रगाह की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*202. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर थाना सुदूर ग्रामीण इलाके में अवस्थित है इसका क्षेत्रफल लगभग 40 कि0मी0 में है;

(2) क्या यह बात सही है कि थाना को अपना भवन, स्टाफ क्वार्टर तथा सही गाड़ी नहीं रहने से वहां काम करने वाले पुलिस बल को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना में स्टाफ क्वार्टर के लिए भवन निर्माण तथा गाड़ी की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

* 203. श्रीमती सुजाता देवी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत पिपरा थाना की स्थापना वर्ष 1972 में हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना का अभीतक भवन नहीं रहने के कारण किराये के मकान में थाना संचालित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त थाना के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, और नही, तो क्यों ?

प्रशिक्षण देना

* 204. श्री तारकिशोर प्रसाद—क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार नगर स्थित महेश्वरी एकेडमी परिसर में वर्ष 2003 में 11वीं वित्त आयोग की राशि से जिले के छात्रों को कम्प्यूटर परिचालन प्रशिक्षण हेतु 50 कम्प्यूटर सेट एक नवनिर्मित भवन में स्थापित की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त केन्द्र में कम्प्यूटर के परिचालन हेतु जेनेरेटिंग सेट एवं प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं कराया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि जेनेरेटिंग सेट एवं प्रशिक्षक के अभाव में आज तक छात्रों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका है ;

(4) अगर उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रशिक्षण केन्द्र में छात्रों को कम्प्यूटर परिचालन प्रशिक्षण देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

* 205. श्री वीरेन्द्र सिंह—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के मानपुर एवं वजीरगंज प्रखंड में अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं रहने से अल्पसंख्यक छात्रों को काफी कठिनाई हो रही है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मानपुर, वजीरगंज प्रखंड में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 6 अगस्त, 2012(ई0)।

लक्ष्मीकान्त झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

बि0स0मु0 (एल0ए0) 99-डी0टी0पी0-450